

RBE No.132/2018



PCPO's Sl.No.161/2018

No. E/9(E)/O/ECR/HJP

Dated:- 11.09.2018

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे. हाजीपुर।
3. DRM/ पू.म.रे./मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पू.म.रे./हाजीपुर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/ पीडी/मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर, हरनौत।
8. Sr.DPO/ पू.म.रे./मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
9. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
10. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फरपुर एवं भूतेश्वर।
11. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पू.म.रे./हाजीपुर।

**विषय:** Grant of Dearness Allowance to Railway employees – Revised Rates effective from 01.07.2018

**संदर्भ :** Rly. Board's Lt. no.PC-VII/2016//7/2/1 dated : 10.09.2018

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाणति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रोत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.

OS/ET

*[Handwritten Signature]*

12-9-18

*[Handwritten Signature]*  
11.09.2018

(पंकज कुमार)  
वकाधि/एम.पी.पी  
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पू.म.रे./हाजीपुर।
2. महासचिव/एसओ.सी.ओ./एसओ.टी.ओ./एशोसिएशन/पू.म.रे./हाजीपुर।
3. वकाधि (एम.पी.पी.) पू.म.रे./हाजीपुर। कृपया इस नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पू.म.रे./हाजीपुर।

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

आरबीई सं. 33/2018

पीसी-VII सं. 116

नई दिल्ली, दिनांक: 10.09.2018

फाइल सं. पीसी-VII/2016/आई/7/2/1

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),  
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,  
(जक सूची के अनुसार)

विषय:- रेलवे कर्मचारियों को 01.07.2018 से रखावी संशोधित दरों पर महंगाई भत्ता प्रदान करना।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के, दिनांक 19.03.2017 के पत्र आरबीई सं. 39/2018 (फाइल नं. पीसी-VII/2016/आई/7/2/1) का अवलोकन करने और यह कानून का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रपति सहर्ष यह निर्णय लेते हैं कि रेलवे कर्मचारियों को यह महंगाई भत्ते को 01 जुलाई, 2018 से मूल वेतन के 7% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 9% किया जाएगा।

2. सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का आशय पेनलिटिक्स में निर्धारित स्तर में राष्ट्रीय वेतन से है, परंतु इसमें कोई अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है।

3. महंगाई भत्ता पारिक्रमिक का विशिष्ट तत्व ही रहेगा और इसे नियम 1303 (एफआर 9(21)), भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, वॉल्यूम-II (छठा संस्करण - 1987) - दूसरा नया पुनर्मुद्रण 2005 की परिधि के भीतर वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा।

4. महंगाई भत्ते के कारण भुगतान, जिसमें 50 पैसे और इससे अधिक पैसे की राशि शामिल हो तो उसे अगले उच्चतर रूप में पूर्णकृत किया जाए और 50 पैसे की राशि ग्राह्य न दिया जाए।

5. महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान सितंबर, 2018 में वेतन के वितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा।

6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(एस. बालाचंद्र जय्यर)

कार्यपालक निदेशक, वेतन आयोग-II  
रेलवे बोर्ड